प्रेस नोट
दिनांक 09.09.2025

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा जबरन जमीन बैनामा करने व पैसो की मांग करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही
पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–215/2025 धारा 308(5),127(2),351(3),352 बीएनएस से संबंधित 02 आरोपी अभियुक्तों–01. फरहान खान, 02. सुनील कुमार को छिटनापुर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण
वादी शिवकुमार गोस्वामी निवासी ग्राम पृथ्वीनाथ पचरन थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना खरगूपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 07.09.2025 को समय लगभग 04 बजे विपक्षी लवकुश गोस्वामी व उसके साथी सुनील कुमार व फरहान द्वारा जबरन गाड़ी में बैठाकर उससे पुत्र शिवम् की जमीन का बैनामा कराने व ₹35 लाख की मांग की गयी। मना करने पर गाली–गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गयी है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना खरगूपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 09.09.2025 को थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए 02 आरोपी अभियुक्तों–01. फरहान खान, 02. सुनील कुमार को छिटनापुर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. फरहान खान पुत्र हदीशउल्ला खाँ, निवासी ग्राम विजयगढ़वा, थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा
02. सुनील कुमार पुत्र आद्या प्रसाद, निवासी ग्राम कर्मडीह कला, थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–215/2025 धारा 308(5),127(2),351(3),352 बीएनएस थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 पंकज कुमार।
02. का0 अमन सिंह।
03. का0 विजय शंकर राय।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेसनोट
दिनांक 09.09.2025

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा चोरी करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, चोरी का माल बरामद–

कार्यवाहीः–
श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–425/25, धारा 305(ए) बीएनएस से सम्बन्धित 02 आरोपी अभियुक्तों–01. भोलेनाथ उर्फ ओम तिवारी, 02. दीनानाथ को चन्दवतपुर रोड से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 01 अदद गैस सिलेण्डर (भारत कम्पनी) बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
वादी अवधेश कुमार शुक्ला(कम्पोजिट विद्यालय मझौवा चन्दवतपुर के शिक्षा मित्र) पुत्र स्व० श्री युगला शरण शुक्ला, निवासी ग्राम मझौवा, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा थाना द्वारा को0 देहात में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 19/20.08.2025 की रात्रि विद्यालय की रसोई का ताला अज्ञात चोरों द्वारा रसोई में रखा गैस सिलिण्डर चोरी कर लिया गया है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 09.09.2025 को थाना को0 देहात पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान प्रकाश में आये 02 आरोपी अभियुक्तों–01. भोलेनाथ उर्फ ओम तिवारी, 02. दीनानाथ को चन्दवतपुर रोड से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 01 अदद गैस सिलेण्डर (भारत कम्पनी) बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. भोलेनाथ उर्फ ओम तिवारी पुत्र श्यामधर तिवारी नि0 मझौआ पोस्ट चन्दवतपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
02. दीनानाथ पुत्र हरीराम नि0 गड़ेरियनपुरवा पोस्ट चन्दवतपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–425/25, धारा 305(ए),317(2) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी–
01. 01 अदद गैस सिलेण्डर (भारत कम्पनी)

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 आत्मा सिंह।
02. हे0का0 शैलेन्द्र यादव।
03. का0 संजय मद्धेशिया।
04. का0 नरेन्द्र यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 09.09.2025</u>

<u>‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से हत्याभियुक्त को हुई सश्रम आजीवन कारावास व रूपये 50,000/– के अर्थदण्ड की सजा–</u>

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>
दिनांक 02/03/2021 की रात्रि ग्राम दत्तनगर विसेन, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा के रहने वाले ईश्वरदीन पुत्र स्व. रामदास की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके घर के अन्दर किसी धारदार हथियार से चोट पहुँचाकर हत्या कर दी गयी। मृतक के भतीजे सुन्दर लाल की लिखित तहरीर पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान दोषी पाए गए मृतक के बेटे सुकई को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 13.03.2021 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

<u>दोषसिद्धि का विवरण–</u>
श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के आदेश के क्रम एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज दिनांक 09.09.2025 को थाना को0 नगर में पंजीकृत हत्या सम्बन्धी अपराध में अभियोजक श्री अमित पाठक, थाना को0 नगर के पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री राजेश कुमार तृतीय द्वारा अभियुक्त सुकई को दोषसिद्ध करते हुए सश्रम अजीवन कारावास व रू0 50,000/– के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

<u>अभियुक्त का नाम पता–</u>
01. सुकई पुत्र ईश्वरदीन नि0 दत्तनगर विसेन थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

<u>अभियोग का विवरण–</u>
01. मु0अ0सं0–89/21, धारा 302 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 09.09.2025

थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दावाच्याँ के नेतृत्व में थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0–97/25, धारा 191(2),191(3),190,109,324(4),115(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विनोद कुमार मिश्रा उर्फ बबलू को मौर्य नगर चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 08.04.2025 को वादी गिरजाशंकर तिवारी पुत्र कृश्ण दत्त तिवारी नि0 ग्रा0 टेंगनहा थाना परसपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 कर्नलगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उसका भाई आशुतोष त्रिपाठी तहसील कर्नलगंज से अपनी कार से घर आ रहा था कि वंधिया घाट पुल के पास विपक्षीगणों द्वारा गाड़ी रोककर जानलेवा हमला करते हुए लाठी–डण्डे व फरसें से उसके भाई को मारा–पीटा गया है। जिससे उसके भाई को गम्भीर चोटे आयी है। जिसे जिला अस्पताल गोण्डा में भर्ती कराया गया है। वादी की तहरीर पर थानाकर्नलगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था तथा 03 आरोपी अभियुक्तों को कर्नलगंज पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आज दिनांक 09.09.2025 को थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा वांछित चल रहे आरोपी अभियुक्त विनोद कुमार मिश्रा उर्फ बबलू को मौर्य नगर चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. विनोद कुमार मिश्रा उर्फ बबलू पुत्र पारसनाथ मिश्रा नि0 ग्रा0 टेंगहना पो0 रेक्सड़िया थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0स0–97/25, धारा 191(2),191(3),190,109,324(4),115(2) बीएनएस थाना कर्नलगंज गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम–

01. अति0 प्र0नि0 अरविन्द कुमार थाना कर्नलगंज।
02. का0 प्रमोद कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 09.09.2025

थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा 02 दहेज हत्याभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दावाच्याँ के नेतृत्व में थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0–339/25, धारा 85,80(2) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित 02 आरोपी अभियुक्तों–01. जगदीश पुत्र निरहू, 02. नकछेद पुत्र जगदीश को ग्राम धौरहरा दर्जिनपुरवा से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 29.08.2025 को वादी मंशाराम पुत्र बराती नि0 भगतपुरवा थाना हुजूरपुर जनपद बहराइच द्वारा थाना को0 कर्नलगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी बहन की शादी लगभग 02 वर्ष पूर्व को थाना को0 कर्नलगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम धौरहरा दर्जिनपुरवा के रहने वाले नकछेद पुत्र जगदीश के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही मेरी बहन को उसके पति व परिजनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था तथा आज दिनांक 29.08.2025 को प्रातः दहेज की मांग के चलते प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 कर्नलगंज में नामजद 04 अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 09.09.2025 को थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर 02 आरोपी अभियुक्तों–01. जगदीश पुत्र निरहू, 02. नकछेद पुत्र जगदीश को ग्राम धौरहरा दर्जिनपुरवा से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. जगदीश पुत्र निरहू नि0 धौरहरा दर्जिनपुरवा थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।
02. नकछेद पुत्र जगदीश नि0 धौरहरा दर्जिनपुरवा थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–339/25, धारा 85,80(2) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 शरद कुमार।
02. म0उ0नि0 आरती गौतम।
03. हेड का0 प्रवीण सिंह।
04. म0का0 पारूल।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 09.09.2025

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा लूट/छिनैती करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से लूट के 5,000/– रू0 बरामद–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–697/2025 धारा 115(2),309(4) बीएनएस से सम्बन्धित 02 आरोपी अभियुक्तों–01. प्रदीप कुमार सोनकर, 02. सुनील कुमार उर्फ नकछेद को सेमरा कालोनी स्थित रेलवे स्टेडियम के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट के 5,000/– रू0 नगद बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

वादी राजेश कुमार पुत्र जगतराम निवासी सोखापुरवा अमलोलवां, थाना विशेश्वरगंज, जनपद बहराइच द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 05.09.2025 को लुधियाना से कमाकर सुबह लगभग 09:30 बजे गोण्डा रेलवे अस्पताल के पास बस से उतरकर सेमरा कॉलोनी जा रहा था कि स्टेडियम मोड़ पर दो अज्ञात व्यक्तियों ने मारपीट कर जेब में रखे ₹5000/– छीन लिये है। वादी की तहरीर पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 09..09.2025 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा घटना में संलिप्त 02 आरोपी अभियुक्तों–01. प्रदीप कुमार सोनकर, 02. सुनील कुमार उर्फ नकछेद को सेमरा कालोनी स्थित रेलवे स्टेडियम के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट के 5,000/– रू0 नगद बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. प्रदीप कुमार सोनकर पुत्र स्व0 साधू सोनकर नि0 ग्राम खैरी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. सुनील कुमार उर्फ नकछेद पुत्र संगमलाल नि0 खैरी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0– 697/2025 धारा 115(2),309(4) व बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 5,000/– रू0 नकद

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 उदित कुमार।
02. का0 रोहित कुमार गौतम।
03. का0 राहुल पाल।

मीडिया सेल, गोण्डा।